फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

लिछमणाराम बनाम प्रबन्धक केयर्न एनर्जी एम पी टी नगाणा वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 47/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.02.19	प्रार्थी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की कब्जाकाश्त शुदा का खेत ग्राम जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार में आया हुआ है। उक्त प्रार्थी के खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप कारित करने व नया कच्चा–पक्का निर्माण करने पर उतारू है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 11/03/2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 425/91, 554/91, 555/91, 556/91, 598/91 रकबा क्रमशः 22.02, 08.12, 03.01, 00.17, 00.18 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा, दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप कारित नहीं करें। न ही किसी प्रकार के वेलपेड का निर्माण न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 11/03/2019 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

13/02/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद जरिये Not press खारिज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता।

अतः प्रार्थी का स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner